



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102022-239728
CG-DL-E-18102022-239728

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4708]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 18, 2022/आश्विन 26, 1944

No. 4708]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 18, 2022/ASVINA 26, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4920(अ).—केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में, उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-3 उपधारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक वायु मंत्रालय की अधिसूचना जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 503 दिनांक 5 फरवरी 2021 का.आ. 554(अ) दिनांक 2 फरवरी 2021 में भाग II, खंड-3(ii) में किया गया है, इस अधिसूचना से सलंगन अनुसूची में विनिर्दिष्ट गुजराज राज्य की तहसील वागरा जिला भरुच की भूमि में गुजराज राज्य में औयल 12" व्यास एच.पी. गैस पाइपलाइन जीजीएस 3 से जीजीएस-4 तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए ओ.एन.जी.सी.लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किए जा रही परियोजना के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की धोषणा की थी ।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 12 फरवरी 2021 को उपलब्ध कर दी गई थीं ।

और उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग का अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा धोषणा करती है कि इस अधिसूचना से सलंगन अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार का अर्जित किया जाए ।

केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस धोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम 1962 धारा-10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी और पाइपलाइन से संबंधित किसी भी मामले के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

12'' डाया अच.पी. गेस पाइप लाइन जी.जी.एस - 4 से जी.जी.एस. - 3

क्रम सं.	गांव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
तालुका : वागरा			जिला : भरुच		
			राज्य : गुजरात		
1	अलादर	27	00	16	05
2	पणीयादरा	475	00	20	25
		476	00	17	85
		477	00	18	00
		486	00	15	00
		487	00	25	35
		487	00	05	60
		1229/p	00	03	75
		1229/P	00	08	25
		1229/P	00	03	45
		1225	00	10	50
		1227	00	07	65
		1230	00	05	85
		605	00	19	05
		607	00	09	60
		608	00	09	45
		609/P	00	10	50
		609/P	00	10	50
		609/P	00	10	50
		623	00	05	40
		624/P	00	19	20
		624/P	00	13	20
		626	00	06	90
		628	00	03	75
		639	00	33	75
		670	00	06	90
		674	00	11	25
		675	00	05	25
		679	00	05	55
		678	00	02	25
		कुल	03	19	50
3	नरणावी	17	00	28	95
		22/P	00	12	90
		22/P	00	33	75
		26	00	28	50
		24	00	02	40
		कुल	01	06	50

[फा नं. इएक्सपीएल-11032(11)/15/2021-इएक्सपीएल-1-पीएनजी (इ-36875)]

आर. के. कुरील, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th October, 2022

S.O. 4920(E).—Whereas by the notification of The Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Published in the Gazette No. 503 date 05 February 2021 SO.No.554(E) Date 02-02-2021 Part-II,Section-3,Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Vagra, District Bharuch in Gujarat State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum 12” HP Gas Pipeline from GGS 4 to GGS 3 in Gandhar Area By the Oil & Natural Gas Corporation Ltd ”

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 12 February 2021.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report Central Government.

And whereas, the Central Government after Considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation, free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE**12” Dai HP Gas Pipe line GGS-4 To GGS-3**

Sr. No.	Name of Village	Survey / Block No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
TALUKA: VAGRA			DISTRICT: BHARUCH		
			SATATE: GUJARAT		
1	Aladar	27	00	16	05
2	Paniyadra	475	00	20	25
		476	00	17	85
		477	00	18	00
		486	00	15	00
		487	00	25	35
		487	00	05	60
		1229/p	00	03	75
		1229/P	00	08	25
		1229/P	00	03	45
		1225	00	10	50
		1227	00	07	65
		1230	00	05	85

Sr. No.	Name of Village	Survey / Block No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
		605	00	19	05
		607	00	09	60
		608	00	09	45
		609/P	00	10	50
		609/P	00	10	50
		609/P	00	10	50
		623	00	05	40
		624/P	00	19	20
		624/P	00	13	20
		626	00	06	90
		628	00	03	75
		639	00	33	75
		670	00	06	90
		674	00	11	25
		675	00	05	25
		679	00	05	55
		678	00	02	25
		Total	03	19	50
3	Naranavi	17	00	28	95
		22/P	00	12	90
		22/P	00	33	75
		26	00	28	50
		24	00	02	40
		Total	01	06	50

[F. No. Expl-11032(11)/15/2021-EXPL-I-PNG (E- 36875)]

R. K. KUREEL, Director